प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.10.2025

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखो रूपयो की धोखाधडी करने वाला 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2025 को थाना निवाडी पर वादिया ने तहरीर दी कि विपक्षीगण द्वारा उत्तर प्रदेश महिला समाज कल्याण विभाग मे सुपरवाईजर के पद पर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3,57000/- व 1,32000/- रू0 आनलाईन यूपीआई के माध्यम से व 5000 रूपये कैश के माध्यम से कुल 4,94,000 रूपये हडप लेना व वादिया की नौकरी न लगने पर रूपयो को वापस मागंने पर गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुंसगत धारा 316(2)/318(2)/351(3)/352 BNS व 3(2)5a एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.10.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त अरविन्द शर्मा पुत्र गीताराम शर्मा निवासी म0न0 312 मूलचन्द विहार 352 जमुना विहार कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर व अभियुक्ता रेनू पंवार पत्नी धीरज पंवार निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं छात्र छात्राओं से अपने आपको महिला एवं समाज कल्याण विभाग में अधिकारी के पद बताकर उनकी नौकरी महिला एवं समाज कल्याण विभाग में लगवाने का आश्वासन देता हूँ तथा रुपयों को अपनी सहअभियुक्ता रेनू पंवार के खाते में ट्रांसफर करा लेता हूँ। इसके बाद रेनू से रुपये लेकर कुछ हिस्सा रेनू को भी दे देता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अरविन्द शर्मा पुत्र गीताराम शर्मा निवासी म0न0 312 मूलचन्द विहार 352 जमुना विहार थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 48 वर्ष,
2. रेनू पंवार पत्नी धीरज पंवार निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष,

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

1. अभियुक्त अरविन्द शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 02, थाना मसूरी पर 01, थाना मुरादनगर पर 01, थाना दोघट जनपद बागपत मे 01, थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर में 01 तथा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में 01 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. अभियुक्ता रेनू पंवार उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 02, थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

वाकीटॉकी मय चार्जर, 02 कडे, 01 अंगूठी, 04 मोबाईल फोन, 01 टैबलेट, 650 रू0 नगद, आधार कार्ड व पैनकार्ड, भारतीय सेना का कार्ड, एटीएम कार्ड, प्रवेशपत्र, अन्य कार्ड व अन्य प्रपत्र व एक थैला बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोरा प्लास्टिक व 09 गत्ते के कार्टन कुल 350 पैकेट(भिन्न- भिन्न मार्का) अवैध पटाखे बरामद।

आज दिनांक 04.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित के साथ 01 अभियुक्त सुशील गर्ग पुत्र सुरेन्द्र कुमार गर्ग निवासी गांधी कालोनी सुभाष मंडी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 61 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 07 बोरा प्लास्टिक व 09 गत्ते के कार्टन कुल 350 पैकेट(भिन्न- भिन्न मार्का) अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9बी(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम आगामी त्योहारों पर लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने मकान में चोरी छिपे अवैध पटाखे बनाने व बेचने का कार्य कर रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सुशील गर्ग पुत्र सुरेन्द्र कुमार गर्ग निवासी गांधी कालोनी सुभाष मंडी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 61 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

07 अदद बोरा प्लास्टिक व 09 गत्ते के कार्टन कुल 350 पैकेट (भिन्न- भिन्न मार्का) अवैध अतिशबाजी पटाखे निर्मित/अर्धनिर्मित बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार अभियुक्त आमिर पुत्र बाबू खान नि० खचरा धौलाना थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र 27 वर्ष व अभियुक्त जसवीर का नाम प्रकाश में आया है जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त आमिर को दिनांक 03.10.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त जसवीर यादव पुत्र बादशाह निवासी गांव गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष को आज दिनांक 04.10.2025 को उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है साहब वादी की पुत्री की दोस्ती आमिर से थी। जिसको बहला फुसलाकर आमिर ले आया है जिसे हमारे घर पर लाया था जिसके साथ मैने भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जसवीर यादव पुत्र बादशाह निवासी गांव गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी कि वादी की बहन उम्र करीब 15 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया

। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त कपिल पुत्र किशोरी लाल निवासी डोलचा थाना बालैनी जिला बागपत उम्र 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसको दिनांक 03.10.2025 को उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है, बताया की वादी की बहन से मेरा जीजा साली का रिश्ता लगता है जिसकी शादी मैं अपनी मौसी के लडके से कराना चाहता था जिस कारण मैं पीडिता को बहला फुसलाकर कर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कपिल पुत्र किशोरी लाल निवासी डोलचा थाना बालैनी जिला बागपत उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 मोबाइल फोन, चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03/04.10.2025 की रात्रि को चैकिंग के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वाहन व मोबाइल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1.आकाश पुत्र राजेन्द्र नि0 कमला होल बिहारीपुरा शिव मन्दिर के पास विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2.अमित उर्फ रोहित उर्फ काले पुत्र स्व नरेन्द्र सिंह नि0 रामेश्वरम मेरिज होल के पास कमला होल बिहारीपुरा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 3. कुलदीप पुत्र श्रीकिशन नि0 सै0 9 झुग्गी झौपडी वसुन्धरा इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को ग्रीन वेल्ट स्थित सेन्ट फ्रांसिस स्कूल के पास से चोरी के 8 मोबाइल फोन, चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि तीनों अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल व स्कूटी एवं मोबाइल फोन चोरी के है। तीनों अभियुक्तों ने मिलकर बरामद मोटर साइकिल 03 दिन पहले ही तिगरी गोल चक्कर के पास से चोरी किया था तथा बरामद स्कूटी को न्याय खंड 3 इन्दिरापुरम से लगभग 14-15 दिन पहले चोरी किया था और चोरी की स्कूटी व मोटर साइकिल से तीनों अभियुक्त स्नेचिंग व चोरी करने की घटना कारित करते हैं। तीनों अभियुक्तों ने बरामद सभी मोबाइल फोन को अलग-अलग जगह से छीना व चोरी किया था। जिन्हें पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आकाश पुत्र राजेन्द्र नि0 कमला होल बिहारीपुरा शिव मन्दिर के पास विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अमित उर्फ रोहित उर्फ काले पुत्र स्व नरेन्द्र सिंह नि0 रामेश्वरम मेरिज होल के पास कमला होल बिहारीपुरा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3. कुलदीप पुत्र श्रीकिशन नि0 सै0 9 झुग्गी झौपडी वसुन्धरा इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी के 08 मोबाइल फोन, चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।